

सरकार बनाम राजीव कुमार वगैरह
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 467/14 (1710/14)

17.09.2025

अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्तगण राजीव कुमार रंजन, पिकी बर जमानत अनुपस्थित जिनकी आज की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ जो सुना जाकर आज हेतु स्वीकार किया जाता है, शामिल पत्रावली रहे।

अन्य अभियुक्त महेंद्र की जमानत जब्त है जिसका जारीसुदा गिरफ्तारी वारंट लौटकर प्राप्त नहीं हुआ है अतः अभियुक्त महेंद्र को जरिए गिरफ्तारी वारंट से पुनः तलब किया जावें। गिरफ्तारी वारंट पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावें कि प्रकरण पुराना है तथा वर्ष 2013 से लंबित होने के साथ ही न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है अतः वारंट की तामील असातन विशेष वाहक कि नियुक्ति द्वारा करवाई जावें। गिरफ्तारी वारंट अदम तामील की सूरत में तामील कुनिंदा अभियुक्त की चल-अचल संपत्ति सूची के साथ साक्ष्य-मफरूरी हेतु हाजिर अदालत आवें। वारंट की तामील अपने निर्देशन में करवाने हेतु संबंधित एस.पी. को डी/ओ लेटर जारी किया जावें।

पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिम के दिनांक 14.10.2025 को पेश हो।